न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 47/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/97

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मृतक धन्ना पुत्र जिताजी जाति गरू निवासी भालेलाव के विधिक वारिसान – 1. सकूड़ी देवी पुत्री धन्ना जाति गरू, निवासी भालेलाव तहसील पाली जिला पाली		1. ग्राम पंचायत भांगेसर जरिये सरपंच 2. भोलाराम पुत्र बंशीलाल जाति गर्ग, निवासी भालेलाव, तहसील पाली जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह चौहान।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–: निर्णय :–

दिनांक : 03/12/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत भांगेसर, तहसील पाली द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.11.2004, मिसल संख्या 18/2004–05 एवं मिसल संख्या 29/2004–05 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1481 दिनांक 05.11.2004 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्त की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जो, जैर निगरानी पट्टा जारी किया है उसी भूमि का मिसल संख्या 11/65–66 की पालना में प्रार्थी के पिता के पक्ष में पट्टा संख्या 19 दिनांक 28.05.1967 जारी हो रखा है। वर्तमान में प्रार्थी उक्त पट्टे सुदा आराजी पर बने मकान में निवासरत है। जैर निगरानी आदेश साक्ष्य विहीन है तथा ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इसलिए विधिविरूद्ध बने जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है, जिसमें पंचायतीराज नियमों की अवहेलना की गयी है। इसलिये यदि जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत भांगेसर, तहसील पाली द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.11.2004, मिसल संख्या 18/2004–05 एवं मिसल संख्या 29/2004–05 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1481 दिनांक 05.11.2004 के विरूद्ध पेश कीं है। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आंराजी का ग्राम पंचायत खेतावास द्वारा मिसल संख्या 11/65–66 की पालना में प्रार्थी के पिता धनीया पुत्र जीलोजी गरू के पक्ष में पट्टा संख्या 19 दिनांक 28.05. 1967 जारी किया हुआ है, जिसके पड़ौस पूर्व दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में भॉबी प्रताप का मकान तथा जैर निगरानी पट्टे में पड़ौस पूर्व दिशा में बास का रास्ता, उत्तर दिशा में मैन रोड़, दक्षिण दिशा में चुन्नीलाल प्रतापजी अंकित है। उपरोक्त दोनों पट्टों के तुलनात्मक अध्ययन से यह जाहिर होता है कि जैर निगरानी पट्टा, पूर्व में जारी पट्टासुदा आराजी पर जारी किया हुआ है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। जैर निगरानी पट्टे पर मिसल संख्या 29/2004–05 अंकित है जबकि उक्त पट्टे से सम्बन्धित मिसल का क्रमांक 18/2004–05 अंकित है जो कि सन्देहास्पद है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उनके साथ किसी प्रकार का नक्शा प्रस्तुत ही नहीं किया गया। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 04.09.2004, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें कब्जा सुदा मकान का अंकन करते हुये सचिव को नक्शा तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया जबकि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कही भी मकान का अंकन नहीं किया। साथ ही उक्त नक़्शा कब बनाया गया, के सम्बन्ध में किसी भी दिनांक का अंकन नहीं है और न ही नक्शे पर सायल के हस्ताक्षर है। मनोनित तीन पंच नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु इस प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं तथा पंचों द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें भी मूलभूत तथ्यों का अभाव हैं। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वे समर्थन योग्य नहीं है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के अनुसार – (i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिये या 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहेतु हुये 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुये संनिर्मित क्षेत्रफल – (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीखे से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 100/–(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिये रू. 200/– पर पट्टे जारी किये जा सकते है परन्तु हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज/साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर आराजी पर कोई पुराना मकान स्थित है और न ही अप्रार्थी ने अपने आवेदन में किसी पुराने मकान के विनियमितीकरण का उल्लेख किया है, उसके उपरान्त भी ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इस सम्बन्ध में 2017(2) DNJ(Raj) 730 Mangilal Meghwal vs state में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा, 157 के तहत पट्टा देने के लिए मौके पर पुराना मकान होना आवश्यक है।" साथ ही हस्तगत प्रकरण में बयानफार्म में गवाहों की उम्र अंकित नहीं है तथा गवाहों के बयान भी कार्बनकॉपी में है। प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उस पर सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है उनकी वल्दियती के सम्बन्ध में कोई जानकारी अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किये जाने के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई है, इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से जिस भूमि पर उक्त पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर मिसल संख्या 11/65–66 के अन्तर्गत धनीया पुत्र जीलोजी के पक्ष में पट्टा संख्या 19 दिनांक 28.05.1967 बना है, जो वर्तमान में प्रभावी है। इस प्रकार प्रकरण में प्रश्नगत आराजी पर पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत भांगेसर, तहसील पाली द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.11.2004, मिसल संख्या 18/2004–05 एवं मिसल संख्या 29/2004–05 एवं उसकी पालना में भोलाराम पुत्र बन्शीलाल गर्ग के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1481 दिनांक 05.11.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली